| | V-190/CR.J |
|---|--|
| 1 | RPI-211-6L-11-94 SUMMERRY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 18/8 Class |
| i | n the court of |
| 3 | lame and address of the Complainant तोल्ल, जिला-भिष्य |
| | |
| - | Name, parentage, caste and address of accused |
| | Conso agioslo silor esto Rho Esto 91 yel Rs- mes |
| | किंग की ति हैं। कार्डा |
| | |
| | CITY CONTRACTOR |
| | The state of the s |
| | The state of the s |
| | The offence complaint of its alleged commission. |
| | विश्व कर्म कार्य के किया है जिस के जार के |
| | आपने दिनांक 22-4-10 को समय 19 ८० बजे स्थान किया जन्म |
| | आपने दिनांक 22 प्रका समय 100 विच अनुज्ञा पत्र के 100 को अपने आधिपत्य में |
| | का अपने आवपरप न |
| | जो भारत अधिनयम की धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायाल |
| | संज्ञान में है। |
| | |
| | वस्पया जाता है। अध्यक्ष के व्यवस्था के वास्पा है। अध्यक्ष जाता है। |
| | को 1 100 विवस का साधारण कारावास प्रवक्त से भूगवण होगा। |
| | to a second to which hands and the second se |
| | |
| | 1 JAYYE TABLED & LANDING |
| | Address of a second sec |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | to examination (if any) |
| | The plea of the accused and his examiination (if any) |
| | |
| | अपराध स्वीकार है माफ किया जाये। |
| | A TOTAL THE THE PARTY AND THE |
| | - Charter |
| | COULTED GADILE |
| | 2 31961-1 |
| | The state of the s |
| | C) |
| | 和 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | 2010 |
| | 131 2 |
| | TAL CA |
| | The Offence proved, if any and in case cluse(d), clause(f) clause(g) or solvention (R) offence the variety in respect of which of which the offence has been compliant in the property in respect of which of which the offence has been compliant in the property in respect of which of which the offence has been compliant in the property in respect of which of which the offence has been compliant in the property in respect of which of which the offence has been compliant in the property in respect of which of which the offence has been compliant in the property in respect to the propert |
| | The Offence proved, if any and in case cluse(d), clause(f) clause(f) of the first मिल्ट्रेट नथम श्रेणी the property in respect of which of which the offence has been committed मिल्ट्रेट नथम श्रेणी the property in respect of which of which the offence has been committed मिल्ट्रेट नथम |
| | the property in respect of which of which the official माहद, जिला-भिण्ड |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

(ति र्ण य).
(आज दिनांक / जिल्हा धारा अप्राचित)

1. आरोपी/गण के विरुद्ध धारा अप्राचित को घोषित)

3. आरोपी/गण की स्वेच्छा अभिस्वीकृति के आधार पर आरोपी/गण को अपराध में सिद्धदोष धारा अप्राची किए हैं।

3. आरोपी/गण की स्वेच्छा अभिस्वीकृति के आधार पर आरोपी/गण को के अपराध में सिद्धदोष धारा अप्राची के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं आरोपी/गण ठहराया जाता है। अतः उक्त अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं आरोपी/गण को निर्णा अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने की दशा में जिल्हा सुवारा कारावास पृथक से मुगतना होगा।

4. प्रकरण में जल्हाशुदा अप्राचित अप्राचित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने की दशा

निर्णय खुले न्यायालय में हरता० व दिनांकित क्र घोषित किया गया।

न्यायिक मिन्स्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-भिण्ड गेरे निर्देश पर टाईप किया।

न्यायिक सजिस्टेट प्रथम श्रेणी शिकाहर जिला भिण्ड न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-भिण्ड